प्रेस नोट दिनांक 02.12.2025

थाना सांगीपुर, जनपद प्रतापगढ़

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ के निर्देशन में हत्या के अभियोग से संबंधित थाना सांगीपुर पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त अमान को गिरफ्तार किया गया, अभियुक्त के कब्जे से अवैध तमंचा- कारतूस व 01 मोटर साइकिल बरामद

प्रतापगढ़।
दिनांक 01.12.2025 को थाना सांगीपुर क्षेत्रान्तर्गत कमयनपुर बाजार में पूर्व रंजिश के चलते अभियुक्तगण— अमान पुत्र अमजद निवासी आसांव थाना सांगीपुर, सलीम खान पुत्र ननकऊ एवं सलमान पुत्र सलीम खान निवासी असरही थाना लालगंज तथा इस्लाम पुत्र मोहम्मद शरीफ निवासी गोडवा थाना सांगीपुर—द्वारा एक राय होकर अवैध असलहे से फायरिंग की गई। घटना में वादी के भाई को गोली लगने से उसकी मौके पर मृत्यु हो गई थी।

घटना के संबंध में थाना सांगीपुर पर मु0अ0सं0 225/2025, धारा 103(1) बीएनएस एवं 7 सीएलए एक्ट के तहत 04 नामजद अभियुक्तों के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया है।

सूचना प्राप्त होते ही वरिष्ठ अधिकारीगण द्वारा तत्काल घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। फील्ड यूनिट/फॉरेंसिक टीम द्वारा वैज्ञानिक विधि से साक्ष्यों का संकलन करते हुए घटनास्थल को सुरक्षित किया गया तथा आवश्यक विधिक कार्यवाही प्रारम्भ की गई।

घटना की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर के निर्देशन में अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीमों का गठन किया गया। गठित टीमों द्वारा सतत प्रयास, साक्ष्य संकलन तथा दबिश के दौरान संबंधित अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया है। अन्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु प्रयास जारी हैं।

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर के कुशल निर्देशन में अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री बृजनन्दन राय व क्षेत्राधिकारी लालगंज श्री आशुतोष मिश्रा के कुशल पर्वेक्षण/ नेतृत्व में थानाध्यक्ष सांगीपुर श्री राजेन्द्र कुमार त्रिपाठी मय हमराह उ0नि0 हरिन्द्र कुमार यादव, उ0नि0 राजीव कमल पाण्डेय, उ0नि0 रोहित कुमार, उ0नि0 ज्ञानेन्द्र कुमार, का० प्रदीप कुशवाहा, का0 नरेश शर्मा मय चालक का० देवेन्द्र सिंह द्वारा देखभाल क्षेत्र/ तलाश वांछित, वारण्टी अभियुक्त के दौरान मुखबिर की सूचना पर मु0अ0सं0 225/2025, धारा 103(1) बीएनएस एवं 7 सीएलए एक्ट से संबंधित 01 अभियुक्त अमान पुत्र अमजद निवासी ग्राम असांव थाना सांगीपुर जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 24 वर्ष को 01 अदद देशी तमंचा 315 बोर व 01 अदद जिंदा व 01 अदद खोखा कारतूस 315 बोर व 01 अदद मोटर साइकिल के साथ थाना सांगीपुर क्षेत्रान्तर्गत अमावा बॉर्डर के पास से गिरफ्तार किया गया।

अभियुक्त के कब्जे से 01 अदद देशी तमंचा 315 बोर व 01 अदद जिंदा व 01 अदद खोखा कारतूस 315 बोर की बरामदगी के संबंध में उपरोक्त अभियोग में धारा 3/25 आर्म्स एक्ट की बढोत्तरी की गई व 01 अदद मोटर साइकिल के संबंध में धारा 207 एमवी एक्ट में सीज किया गया है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-
01. अमान पुत्र अमजद निवासी ग्राम असांव थाना सांगीपुर जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 24 वर्ष ।

बरामदगी-
01 अदद देशी तमंचा 315 बोर व 01 अदद जिंदा व 01 अदद खोखा कारतूस 315 बोर व 01 अदद मोटर साइकिल बरामद ।

पुलिस टीम का विवरण-
थानाध्यक्ष श्री राजेन्द्र कुमार त्रिपाठी मय हमराह उ0नि0 हरिन्द्र कुमार यादव, उ0नि0 राजीव कमल पाण्डेय, उ0नि0 रोहित कुमार, उ0नि0 ज्ञानेन्द्र कुमार, का० प्रदीप कुशवाहा, का0 नरेश शर्मा मय चालक का० देवेन्द्र सिंह थाना सांगीपुर जनपद प्रतापगढ़ ।

थाना संग्रामगढ़ जनपद प्रतापगढ़।

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर के निर्देशन में थाना संग्रामगढ़ पुलिस द्वारा हत्या का प्रयास व एससी/ एसटी व आर्म्स एक्ट के अभियोग से संबंधित 01 अभियुक्त राजेश कुमार तिवारी को गिरफ्तार किया गया-

अभियुक्त को थाना संग्रामगढ़ क्षेत्रान्तर्गत ग्राम बकोल प्राथमिक विद्यालय के पास से गिरफ्तार किया गया, साथ ही घटना में प्रयुक्त 01 अदद तमंचा, खोखा कारतूस, जिन्दा कारतूस बरामद किया गया

घटना का संक्षिप्त विवरण -
दिनांक 01.12.2025 को वादी के अनुसार, आरोपी द्वारा वादी के दरवाजे पर कूड़ा फेंका जा रहा था। वादी द्वारा आपत्ति किए जाने पर आरोपी ने जातिसूचक शब्दों का प्रयोग करते हुए गाली-गलौज की तथा जान से मारने की नीयत से फायर कर दिया। फायरिंग के छर्रे वादी के चेहरे पर लगने से वह घायल हो गया। इस संबंध में थाना संग्रामगढ़ में मु0अ0सं0 224/25 धारा 109(1)/352/351(3) बी.एन.एस व 3(1)/3(1)ध/3(2)V/3(2)VA एससी/एसटी एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया था ।

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर के निर्देशन में अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री बृजनन्दन राय व क्षेत्राधिकारी लालगंज श्री आशुतोष मिश्रा के पर्यवेक्षण में थानाध्यक्ष संग्रामगढ़ श्री मनोज कुमार तोमर के नेतृत्व में उ0नि0 विनय वर्मा मय हमराह उ0नि0 गुरदीप सिंह, का0 केवल साहू, का0 कृष्णा पाल द्वारा देखभाल क्षेत्र/

तलाश वांछित व संदिग्ध व्यक्तियों, वाहनों की चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर मु0अ0सं0 224 / 25 धारा 109(1)/352/351(3) बी. एन. एस व 3(1)/3(1)ध/3(2)V/3(2)VA एससी/एसटी एक्ट व 3/25 आर्म्स एक्ट से संबंधित 01 राजेश कुमार तिवारी पुत्र सुशील कुमार निवासी अस्थवां थाना संग्रामगढ जनपद प्रतापगढ को घटना में प्रयुक्त 01 अदद तमंचा, खोखा कारतूस, जिन्दा कारतूस के साथ थाना संग्रामगढ़ क्षेत्रान्तर्गत ग्राम बकोल प्राथमिक विद्यालय के पास से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-
01. राजेश कुमार तिवारी पुत्र सुशील कुमार निवासी अस्थवां थाना संग्रामगढ जनपद प्रतापगढ उम्र करीब 55 वर्ष।

बरामदगी-
घटना में प्रयुक्त 01 अदद तमंचा 315 बोर, 01 अदद खोखा कारतूस, 01 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर बरामद।

पुलिस टीम का विवरण-
उ0नि0 विनय वर्मा मय हमराह उ0नि0 गुरदीप सिंह, का0 केवल साहू, का0 कृष्णा पाल थाना संग्रामगढ़, जनपद प्रतापगढ़।